Committee on the working of Jute Corporation of India

1004. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a high power committee was set up by Government in 1992 to ascertain the causes of the financial crisis in Jute Corporation of India and suggest appropriate measures to revitalise its working;

(b) if so, whether this committee has submitted its report; and

(c) if so, what are the recommendations of this committee and what steps have been taken by Government to implement these recommendations?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKATSWAMY): (a) to (c) A High Powered Committee was set up in 1992 to go into the working of the Jute Corporation of India and to ascertained the causes of its financial malady and suggest appropriate measures for its revitalisation and improving its contribution to the jute sector. The Committee submitted its report in July, 1994. The recommendations of the Committee are under consideration by Government.

Bearish conditions in share market

1005. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a detailed study has been made to explore the factors underlying the persistence of bearish conditions in the share markets over the past several months; and

(b) the measures the Government proposed to undertake to inject buoyancy in these markets?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): (a) Even though no specific study has been conducted by SEBI in this regard, it is keeping a constant watch on the conditions in the stock market.

(b) The buoyancy in the stock market depends on various factors, some of which are expectations of the investors, the performance of the corporate sector, the volume of transactions in the securities by large institutional investors including Foreign Institutional Investors, overall liquidity, capital market trends overseas etc. On July 27, 1995 the SEBI Board approved the introduction of carry-forward trading with norms and safeguards as a measure to enhance liquidity in the market.

बिहार में पर्यटक-स्थलों का विकास

1006. **श्री जनार्दन यादव:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में अनेक पर्यटक स्थल हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देवघर, राजगीर में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की प्रचुर संभावनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो इन स्थलों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली से पटना होकर भागलपुर तक के लिए वायु सेवाएं आरम्भ करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रोजगार और देवघर में मुहैया कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता और पर्यटक सुविधाएं नीचे दिए अनुसार हैं:—

राजगीर	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (रू० लाखों में)
1. शौचालय और पीने के पानी की सुविधाएं	1985-86	1.50
2. जन सुविधाएं	1990-91	2.87

1	2	3	4
	देवघर		
1.	जन सुविधाएं	1992-93	2.57
2.	यात्रिका	1993-94	21.93
3.	पर्यटक परिसर	1994-95	21.93

(घ) और (ङ) इण्डियन एअरलाइंस के रिकार्ड के मुताबिक भागलपुर में उपलब्ध रनवे केवल 3300 फीट है और वहां इण्डियन एअरलाइंस बेड़े का कोई भी विमान प्रचालित नहीं किया जा सकता। विमान की कमियों के कारण पटना होकर भागलपुर के लिए वायुदूत विमान सेवाएं चालू करना भी फिलहाल संभव नहीं है।

SC/ST officers placed at IGI Airport

1007. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of Group A Scheduled Caste officers in the rank of Additional/Deputy/Assistant Collector of Customs has been posted in the airpool of IGI Airport, New Delhi for the last 15 years;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether Government assure that atleast 25 per cent of the posts in airpool of IGI Airport, New Delhi are filled by SC/ST Officers; and

(d) by when the SC/ST Additional/ Deputy/Assistanct Collector be posted in airpool of IGI Airport, New Delhi

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): (a) to Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the House.

सम्पत्ति के क्रय या विक्रय की सीमा में वृद्धि

1008. **श्री सोमपाल:** क्या वित्त यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के महानगरों में सम्पत्ति के क्रय और विक्रय की निर्धारित सीमा में हाल ही में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह): (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग के अधीन अचल संपत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार खरीद स्कीम की प्रयोज्यता के लिए सीमा दिनांक 12.7.1995 की अधिसूचना सं का० आ० 636(अ), द्वारा बढ़ा दी गयी है।

(ख) महानगरों के लिए 1.8.1995 से लागू संशोधित सीमाओं के ब्यौरे इस प्रकार है:—

(i) बंबई: प्रत्यक्ष निर्धारण में 75 लाख रु० से अधिक की संपत्ति।

(ii) दिल्ली: प्रत्यक्ष निर्धारण में 50 लाख रु० से अधिक की संपत्ति।

(iii) कलकत्ता: प्रत्यक्ष निर्धारण में 25 लाख रु० से अधिक की संपत्ति।

(iv) मद्रास: उपरोक्त।

लोक लेखा समिति और स्थायी समिति वित्त द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर और 1.10.1986 से, जब मूल सीमा निर्धारित की गयी थी, वास्तविक सम्पदा मूल्य में वृद्धि के कारण यह सीमाएं बढ़ा दी गयी है।

मध्य प्रदेश में नये हवाई अड्डे बनाया जाना

1009. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में नये हवाई अड्डे बनाने के लिए केन्द्र सरकर से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।